




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 82]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 1979/चैत्र 5, 1901

No 82]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 1979/CHAITRA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

सा० का० नि० 261(अ).—केन्द्रीय सरकार महापत्तन व्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 397 तारीख 8 मार्च, 1977 को अधिकांश करते हुये विशाखापत्तनम पत्तन के व्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित, व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करना है:—

सारणी

वे हित, जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

1	2
पात में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यिक मधुम्री विभाग	1
सीमा-शुल्क विभाग	1
घाँस प्रवेश सरकार	1

1	2
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेल	1
विशाखापत्तनम नगर-गरिषव् क्षेत्र के प्रतिनिधि	3
कुल	11

[फा० सं० पी टी बी 38/78]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Transport Wing) NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March, 1979

G.S.R. 261(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 397, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam:—

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
1	2
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1

1	2
The Customs Department	1
The Government of Andhra Pradesh	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	1
Visakhapatnam Municipal Council	1
People of the area	3
TOTAL	11

[F. No. PTB-38/78]

सां. कां. निं. 262(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सां. कां. निं. 398 तारीख 8 मार्च, 1977 को अधिकांश करते हुए, विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के क्रमशः स्तंभ 2 और 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में वर्णित, प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तंभ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, उक्त सारणी की क्रम सं. 5 और 6 के सामने वर्णित, निकायों की बसा में, ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

सारणी

क्रम संख्या	निकायों के नाम	हित	निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	विजिगापत्तनम चैम्बर आफ कामर्स, विशाखापत्तनम	नाविक	1
2.	फेडरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स इण्डस्ट्री, हैदराबाद	नाविक	1
3.	इण्डियन नेशनल शिप आनर्स एसोशिएशन	पोतस्वामी	1
4.	विशाखापत्तनम नगर परिषद्	अन्य हित	1
5.	मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. 1	नाविक	1
6.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. 0	अन्य हित	1
	कुल		6

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जायेगा।

[फा. सं. पी टी बी 38/78]

GSR 262 (E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 398, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests, shown respectively in the corresponding entries in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam:

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 5 & 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected
1	2	3	4
1.	Vizagapatnam Chamber of Commerce, Visakhapatnam	Shippers	1
2.	Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry, Hyderabad	Shippers	1
3.	Indian National Shipowners' Association	Shipowners	1
4.	Visakhapatnam Municipal Council	Other interests	1
5.	Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited	Shippers	1
6.	Hindustan Shipyard Limited	Other interests	1
	TOTAL		6

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979, as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F. No. PTB-38/78]

सां. कां. निं. 263(घ).—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार में नौबहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सां. कां. निं. 392 तारीख 8 मार्च, 1977 को अधिकांश करते हुए काण्डला पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उक्त सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :

सारणी

वे हित, जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की सं.
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यिक समुद्री विभाग	1
सीमा-शुल्क विभाग	1
गुजरात सरकार	1
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेल	1
काण्डला मुक्त व्यवसाय मंचल	1
क्षेत्र के प्रतिनिधि	2
कुल	10

[फा. सं. पी टी बी-41/78]

G.S.R. 263 (E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R.392, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 2 of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla:—

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
1	2
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1
The Customs Department	1
The Government of Gujarat	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	1
Kandla Free Trade Zone	1
People of the area	2
Total	10

[F. No. PTB-41/78]

सां. कां. निं. 264(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन ग्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (II) के उपखण्डों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सां. कां. निं. 393, तारीख 8 मार्च, 1977 को अधिकांत करते हुए, काण्डला पत्तन के ग्यासी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के क्रमशः स्तम्भ 2 और 3 में तत्संबंधी प्रतिष्ठियों में वर्णित, प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, उक्त सारणी की क्रम संख्या 5 और 6 के सामने वर्णित, निकायों की दशा में, ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

सारणी

क्रम सं०	निकायों के नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की सं०
1	2	3	4
1.	गुजरात चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, अहमदाबाद	नाविक	1
2.	नोर्थर्न इण्डिया चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चण्डीगढ़	नाविक	1
3.	इण्डियन मेगामल शिपयानर्स एसोसिएशन	पोतस्वामी	1
4.	गान्धीधाम नगरपालिका	प्रत्य हित	1
5.	भारतीय खाद्य निगम	पोत वर्गिक	1
6.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड	पोत वर्गिक	1
7.	गान्धी धाम चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, गान्धीधाम	पोत वर्गिक	1
	कुल		7

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को ऐसे अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर ग्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

[फा० सं० पीटीबी-41/78]

G.S.R. 264 (E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 393, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interest, shown respectively in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Kandla :

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 5 and 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected
1	2	3	4
1.	Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ahmedabad.	Shippers	1
2.	Northern India Chamber of Commerce and Industry, Chandigarh	Shippers	1
3.	Indian National Shipowners Association	Shipowners	1
4.	Gandhidham Municipality	Other interests	1
5.	Food Corporation of India	Shippers	1
6.	Indian Oil Corporation Limited	Shippers	1
7.	Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, Gandhidham	Shippers	1
	TOTAL		7

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979, as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F.No. PTB-41/78]

सां. कां. निं. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन ग्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सां. कां. निं. 401 तारीख 8 मार्च, 1977 को अधिकांत करते हुए कोचीन पत्तन के ग्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उस सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित, व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी	
वे हिन, जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
बाणिज्यिक समुद्री विभाग	1
सीमा शुल्क विभाग	1
केरल सरकार	1
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेल	1
कोचीन निगम	1
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी	1
क्षेत्र के प्रतिनिधि	2
कुल	11

[सं० पी टी बी-42/78]

G.S.R. 265 (F).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G. S. R. 401 dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interest mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Cochin :—

TABLE

Interests to be represented	Number of person to be appointed
1	2
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1
The Customs department	1
The Government of Kerala	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	1
Corporation of Cochin	1
Marine Products Export Development Authority	1
People of the area	2
TOTAL	11

[F. No. PTB 42/78]

सां० का० बि० 266 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के उपबन्धों के अनुसरण में, और भारत सरकार के परिवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 402 तारीख 8 मार्च, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के क्रमशः स्तम्भ 2 और 3 में तत्संबंधी प्रतिष्ठियों में वंशित प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिश्चित करती है :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उक्त सारणी की क्रम संख्या 6 के सामने वर्णित निकायों की वधा में, ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

सारणी			
क्रम सं०	निकायों के नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स कोचीन	नाविक	1
2.	एर्नाकुलम चेम्बर आफ कामर्स, एर्नाकुलम	नाविक	1
3.	कोचीन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कोचीन	पोत स्वामी	1
4.	इण्डियन नेशनल शिपयार्ड एसोसिएशन	पोत स्वामी	1
5.	कोचीन निगम	अन्य हित	1
6.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	अन्य हित	1
		कुल	6

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिश्चित करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

[सं० पी टी बी-42/78]

G.S.R. 266 (F).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S. R. 402, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interests, shown respectively, in the corresponding entries in columns 2 and 3 of the Table, on the Board of Trustees of the Port of Cochin :

Provided that in the case of the body mentioned against serial number 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the person to be elected by such body shall said be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	No. of Persons to be elected
1	2	3	4
1.	Indian Chamber of Commerce, Cochin.	Shippers	1
2.	Ernakulam Chamber of Commerce, Ernakulam	Shippers	1
3.	Cochin Chamber of Commerce & Industry, Cochin	Shipowners	1
4.	Indian National Shipowners' Association	Shipowners	1
5.	Corporation of Cochin	Other interests	1
6.	Cochin Shipyard Limited	Other interests	1
	TOTAL		6

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979, as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F. No. PTB-42/78]

सा० का० नि० 267 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार, नीवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 125 (अ) तारीख 24 मार्च, 1977 को अधिकांश करते हुए कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित, व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी

वे हित, जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सं०
1	2
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यिक समुद्री विभाग	1
सीमा-शुल्क विभाग	1
पश्चिमी बंगाल सरकार	1
रजा सेवाएं	1
भारतीय रेल	2
कलकत्ता निगम	1
क्षेत्र के प्रतिनिधि	1
	कुल 10

[फा० सं० पी टी बी-44/78]

G.S.R. 267(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G. S. R. 125(E) dated the 24th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Calcutta :—

TABLE

Interests to be represented	No. of Persons to be appointed
1	2
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine department	1
The Customs department	1
The Government of West Bengal	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	2
Corporation of Calcutta	1
People of the area	1
TOTAL	10

[F. No. PTB-44/78]

सा० का० नि० 268 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नीवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 394, तारीख 8 मार्च, 1977 को अधिकांश करते हुए, कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के क्रमशः स्तम्भ 2 और 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में दर्शित, प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, उक्त सारणी की क्रम सं० 7 और 8 के सामने वर्णित, निकायों की दशा में ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

सारणी

क्र० सं०	निकायों के नाम	हित	निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	इंडियन चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता	नाविक	1
2.	बंगाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कलकत्ता	नाविक	1
3.	बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कलकत्ता	पोत स्वामी	1
4.	ग्राल इण्डिया शिपर्स कौंसिल	नाविक	1
5.	कलकत्ता निगम	ग्रन्थ हित	1
6.	कलकत्ता क्लीयरिंग एजेंट्स एसोसिएशन, कलकत्ता	ग्रन्थ हित	1
7.	भारतीय रेल निगम लि०	ग्रन्थ हित	1
8.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	पोत स्वामी	1
9.	फैडरेशन आफ इम्लैड वाटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आफ इंडिया, कलकत्ता	ग्रन्थ हित	1
		कुल	9

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 30 अप्रैल, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जाएगा।

[सं० पी टी बी-44/78]

विनेश कुमार जैन,
संयुक्त सचिव

G.S.R. 268(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 394, dated the 8th March, 1977, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies, to represent each of the interests, shown respectively in the corresponding entries in columns 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Calcutta:

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 7 and 8 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interest	No. of persons to be elected
1	2	3	4
1.	Indian Chamber of Commerce, Calcutta.	Shippers	1
2.	Bengal National Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.	Shippers	1
3.	The Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta	Shipowners	1
4.	All India Shippers' Council	Shippers	1
5.	Corporation of Calcutta	Other interests	1

1	2	3	4
6.	Calcutta Clearing Agents Association, Calcutta	Other Interests	1
7.	Indian Oil Corporation Limited.	Other interests	1
8.	Shipping Corporation of India Limited.	Shipowners	1
9.	Federation of Inland Water Transport Association of India, Calcutta.	Other interests	1
TOTAL			9

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 30th April, 1979 as the period within which the election of Trustees shall be held.

[F. No. PTB-44/78.]

D. K. JAIN, Jt. Secy